उमरिया जिले के कटनी–उमरिया–शहडोल–कोतमा (म.प्र./छत्तीसगढ़ बार्डर तक) रा.रा.क्र. 78 में दो लेन एवं पेव्ह शोल्डर में परिवर्तन करने हेतु 23.287 हे. वनभूमि एवं 7.136 हे. राजस्व वन भूमि कुल 30.423 हे. भूमि म.प्र. सड़क विकास निगम शहडोल को उपयोग पर देने बावत्।

1.भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय नई दिल्ली की सैद्धान्तिक अनुमति क्रमांक–6- MPC-014/2016-BHO/1191 दिनांक 23.12.2016		
2.अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (भू–प्रबंध) म.प्र. भोपाल का पत्र क .एफ – 5/776/2016 /10–11/2789 दिनांक 24.12.2016		
शर्त क्र	सैद्धान्तिक स्वीकृति मे अधिरोपित शर्तें	आवेदक संस्था द्वारा शर्तों का अनुपालन प्रतिवेदन
1.	वनभूमि का वैधानिक स्वरूप अपवर्तित रहेगा।	कटनी–उमरिया–शहडोल–कोतमा (म.प्र./छत्तीसगढ़ बार्डर तक) रा.रा.क्र. 78 का भारत सरकार सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, नई दिल्ली की एनएचडीपी–4 परियोजना के अंतर्गत उन्नयन एवं सुदृढ़ीकरण कार्य हेतु उमरिया जिले के अंतर्गत प्रभावित 30.423 हे. वन भूमि का व्यपवर्तन होने के उपरांत भी प्रश्नाधीन वन भूमि का वैधानिक स्वरूप अपरिवर्तित रहेगा। वचनपत्र संलग्न है।
2.	उपयोगकर्ता एजेंसी के आधिपत्य में परियोजना के क्रियान्वयन हेतु आवश्यक भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित करने के उपरांत ही वन भूमि का आधिपत्य सौंपा जायेगा।	कटनी–उमरिया–शहडोल–कोतमा (म.प्र./छत्तीसगढ़ बार्डर तक) रा.रा.क्र. 78 का भारत सरकार सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, नई दिल्ली की एनएचडीपी–4 परियोजना के अंतर्गत उन्नयन एवं सुदृढ़ीकरण कार्य हेतु उमरिया जिले के अंतर्गत प्रभावित 30.423 हे. वन भूमि का व्यपवर्तन के अतिरिक्त परियोजना के क्रियान्वयन हेतु आवश्यक शासकीय एवं निजी भूमि उपलब्ध/अधिग्रहित की गई है। वचनपत्र संलग्न है।
3.	(अ) वन विभाग के द्वारा उपयोगकता के खर्चे पर 11. 570 हे. गैर वनभूमि (खसरा क्रमांक 182/7, 186,229 ग्राम टोंकड़ा तहसील बड़ौद जिला आगर मालवा) एवं 19.470 हे. गैर वनभूमि (खसरा क्रमांक 818/1/1, ग्राम रापड़ी तहसील बड़ौद जिला आगर मालवा)कुल	क्षतिपूरक वृक्षारोपण योजना की कुल लागत रूपये 2,30,66,683 (रू. दो करोड तीस लाख छियासठ हजार छः सौ तिरासी मात्र) का अंतरण भारत सरकार के केम्पा के खाता क्रमांक 037100101025216 कार्पोरेशन बैंक, लोधी कॉपलेक्स नई दिल्ली–110003 आई.एफ.एस.सी कोड CORP0000371 में दिनांक 05.01.2017 को कार्पोरेशन बैंक, लोधी कॉपलेक्स नई दिल्ली जिसका आई.एफ.एस.सी कोड CORP0000371 में माध्यम से कर दिया गया है जिसका अथॉराईजेशन नंबर

Scanned by CamScanner

	30.423 हे. पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण किया जायेगा।	P17010688740276 है (छायाप्रति संलग्न है)
	(ब) अतिक्रमणमुक्त गैर वन भूमि उपलब्ध कराई जायेगी।	अतिक्रमणमुक्त गैर वन भूमि मण्डल अधिकारी शाजापुर (म.प्र.) को उपलब्ध कराई जा चुकी है। **कलेक्टर जिला - आगर-मालवा के आदेश की छायाप्रति संलग्न है।**
	(स) इस गैर वनभूमि को वन विभाग के पक्ष में द्वितीय स्तर की स्वीकृति के पूव हस्तांतरित व नामांतरित किया जायेगा।	न्यायालय कलेक्टर जिला आगरमालवा मध्यप्रदेश द्वारा प्रकरण क्र. 33/अ–19(3)/2007–08 में पारित आदेश दिनांक 14/07/2015 के माध्यम से प्रस्तावित गैर वनभूमि को वनविभाग को हस्तांतरित व नामांतरित किया जा चुका है। **खसरा नक्शा संलग्न है ।**
	(द) इस गैर वनभूमि को राज्य के वनविभाग द्वारा भारतीय वन अधिनियम 1927, के अंतर्गत आरक्षित वन घोषित किया जायेगा।	वन विभाग द्वारा कार्यवाही की जानी है।
	(इ) चयनित गैर वनभूमि को सर्वे ऑफ इंडिया की 1:5000 पैमाने की टोपोशीट पर दर्शाया जायेगा। गैर वनभूमि के प्रत्येक कोने के बियरिंग एवं अंतर के अतिरिक्त जी.पी.एस.रीडिंग (लेटीट्यूड एवं लांगीट्यूड) दर्ज किये जायेंगे।	वनविभाग द्वारा कार्यवाही की जानी है।
4.	उपयोगकर्ता एजेंसी वर्तमान मजदूरी दर से क्षतिपूरक वनीकरण की लागत मय सीमांकन, सर्वेक्षण, स्थायी पिलर स्थापना इत्यादि व्यय वन विभाग को पेशगी जमा करेंगे। क्षतिपूरक वनीकरण का 10 वर्षो तक रखरखाव किया जायेगा। क्षतिपूरक वनीकरण योजना में भविष्य में संभावित लागत वृद्धि हेतु प्रावधान रहेगा।	रू. 2,30,66,683 (रू. दो करोड़ तीस लाख छियासठ हजार छः सौ तिरासी मात्र) का अंतरण भारत सरकार के केम्पा के खाता क्रमांक 037100101025216 कार्पोरेशन बैंक, लोधी कॉपलेक्स नई दिल्ली–110003 आई.एफ.एस.सी कोड CORP0000371 में दिनांक 05.01.2017 को कार्पोरेशन बैंक, लोधी कॉपलेक्स नई दिल्ली जिसका आई. एफ.एस.सी कोड CORP0000371 में माध्यम से कर दिया गया है जिसका अथॉराईजेशन नंबर P17010688740276 है (छायाप्रति संलग्न है) भविष्य में संभावित लागत वृद्धि के भुगतान हेतु वचनपत्र संलग्न है। वचनपत्र संलग्न है।
5.	(अ) समादेश याचिका (सी) क्र. 202/1995 के अंतर्गत आई.ए.क्रमांक–566 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 30.10.2002, 01.08.2003 28.03.2008, 24.04.2008 व 09.05.2008 के अनुसार	प्रभावित 30.423 हे. वनभूमि की नेट प्रेजेण्ट वेल्यू रू. 2,26,16,127 दो करोड़ छब्बीस लाख सोलह हजार एक सौ सताईस मात्र। भारत सरकार के केम्पा के खात क्र. 037100101025216 लोधी कॉपलेक्स नई दिल्ली–110003 आई.एफ.एस.सी.कोड CORP0000371 में दिनांक 05.01.2017 को कार्पोरेशन बैंक, लोधी कॉपलेक्स नई

Scanned by CamScanner

	तथा मंत्रालय के पत्र क्रमांक 5–1/1998–एफ.सी. (पार्ट–ii) दिनांक 18.09.2003 के साथ इससे संबंधित पत्रांक 5–2/2006–एफ.सी. दिनांक 03.10.2006 एवं 5–3/2007–एफ.सी. दिनांक 05.02.2009 के द्वारा जारी दिशा निर्देशानुसार राज्य शासन, उपयोगकर्ता अभिकरण से इस प्रस्ताव हेतु व्यपवर्तित की जाने वाली 30.423 हे. क्षेत्र की वन भूमि के लिये शुद्ध वर्तमान मूल्य (Net Present Value) वसूली जायेगी।	दिल्ली जिसका आई.एफ.एस.सी कोड CORP0000371एवं खता क्रं. SB01025216 के माध्यम से कर दिया गया है जिसका अथॉराईजेशन नंबर P17010789523488 है (छायाप्रति संलग्न है।)
	(ब) विशेषज्ञ समिति के प्रतिवेदन प्राप्त होने एवं उसे माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अंतिम रूप देने के पश्चात् यदि शुद्ध वर्तमान मूल्य के अतिरिक्त राशि देय राशि है तो यह राशि राज्य शासन द्वारा उपयोगकर्ता अभिकरण से वसूली जायेगी। उपयोगकर्ता अभिकरण इस आशय का वचनपत्र प्रस्तुत करेगा।	कटनी–उमरिया–शहडोल–कोतमा (म.प्र./छत्तीसगढ़ बार्डर तक) रा.रा.क्र. 78 का भारत सरकार सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, नई दिल्ली की एनएचडीपी–4 परियोजना के अंतर्गत उन्नयन एवं सुदृढ़ीकरण कार्य हेतु उमरिया जिले के अंतर्गत प्रभावित 30.423 हे. वन भूमि का व्यपवर्तन होने के फलस्वरूप। प्रभावित 30.423 हे. वन भूमि का शुद्ध वर्तमान मूल्य रू. 2,26,16,127/– (दो करोड़ छब्बीस लाख सोलह हजार एक सौ सताईस मात्र) भारत सरकार के केम्पा के खाता क्रं. 037100101025216 कार्पोरेशन बैंक, लोधी कॉम्पलेक्स नई दिल्ली– 110003 आई.एफ. एस.सी. कोड CORP0000371 में दिनांक 05.01.2017 को कार्पोरेशन बैक, सी.जी.ओ. कॉम्पलेक्स फेस–1 लोधी रोड़ नई दिल्ली जिसका आई.एफ.एस.सी. कोड नं. CORP0000371 एवं खता क्रं. SB01025216 के माध्यम से कर दिया गया है जिसका अथॉराईजेशन नं. P17010789523488 है। विशेषज्ञ सतिति के प्रतिवेदन प्राप्त होने एवं उससे माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अंतिम रूप देने के पश्चात यदि शुद्ध वर्तमान मूल्य के अतिरिक्त राशि देय राशि है तो यह राशि उपयोगकर्ता अभिकरण द्वारा राज्य शासन को भुगतान की जायगी। वचनपत्र संलग्न है।
6.	परियोजना के अंतर्गत उपयोगकर्ता अभिकरण से प्राप्त समस्त निधि को Compensatory Afforestation Fund (CAF) Madhya Pradesh के कार्पोरेशन बैंक लोधी कॉम्पलेक्स नई दिल्ली – 110003 में स्थित खाता संख्या CAF SB01025216 में हस्तांतरित की जायेगी।	बिन्दु क्र. 2 के अनुसार पालन किया गया है।

Scanned by CamScanner

7.	उपयोगकर्ता अभिकरण द्वारा व्यपवर्तित की जाने वाली वनभूमि में अधिकतम् 5707 वृक्षों का पालन किया जा सकेगा। परंतु परियोजना के उन्नयन हेतु अत्यन्त आवश्यक एवं न्यूनतम् वृक्षों का ही पातन सुनिश्चित किया जायेगा।	कटनी–उमरिया–शहडोल–कोतमा (म.प्र./छत्तीसगढ़ बार्डर तक) रा.रा.क्र. 78 का भारत सरकार सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, नई दिल्ली की एनएचडीपी–4 परियोजना के अंतर्गत उन्नयन एवं सुदृढ़ीकरण कार्य हेतु उमरिया जिले के अंतर्गत प्रभावित 30.423 हे. वन भूमि का व्यपवर्तन होने की अनुमति की शर्तो के अनुपालन में उपयोगकर्ता अभिकरण द्वारा व्यपवर्तित की जाने वाली वनभूमि में अधिकतम 5707 वृक्षों का पातन किया जा सकेगा। परन्तु परियोजना के उन्नयन हंतु अत्यन्त आवश्यक एवं न्यूनतम वृक्षों का ही पातन सुनिश्चित किया जायेगा। वचनपत्र संलग्न है।
8.	उपयोगकर्ता अभिकरण द्वारा पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम,, 1986 के अनुसार लागू होने पर पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त कर सकेंगे।	लागू नहीं।
9.	भारत सरकार द्वारा पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 तथा पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के संबंध में जारी दिशा निर्देशों का पूर्णतः पालन किया जायेगा।	कटनी–उमरिया–शहडोल–कोतमा (म.प्र./छत्तीसगढ़ बार्डर तक) रा.रा.क्र. 78 का भारत सरकार सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, नई दिल्ली की एनएचडीपी–4 परियोजना के अंतर्गत उन्नयन एवं सुदृढ़ीकरण कार्य हेतु उमरिया जिले के अंतर्गत प्रभावित 30.423 हे. वन भूमि का व्यपवर्तन होने की अनुमति की शर्तो के अनुपालन में भारत सरकार द्वारा पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 तथा पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के अंतर्गत समय–समय पर फलाई एश के उपयोग के संबंध में जारी दिशा निर्देशों का पूर्णतः पालन किया जायेगा। वचनपत्र संलग्न है।
10.	उपयोगकर्ता अभिकरण द्वारा भारतीय सड़क कांग्रेस के मानदण्डो के अनुरूप मार्ग के सेन्ट्रल वर्ज / दोनों ओर पट्टी में वृक्षारोपण कराया जायेगा।	कटनी–उमरिया–शहडोल–कोतमा (म.प्र./छत्तीसगढ़ बार्डर तक) रा.रा.क्र. 78 का भारत सरकार सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, नई दिल्ली की एनएचडीपी–4 परियोजना के अंतर्गत उन्नयन एवं सुदृढ़ीकरण कार्य हेतु उमरिया जिले के अंतर्गत प्रभावित 30.423 हे. वन भूमि का व्यपवर्तन होने की अनुमति की शर्तो के अनुपालन में उपयोगकर्ता अभिकरण के द्वारा अपने खर्चे पर वन विभाग की देख–रेख में सड़क के दोनों ओर वृक्षारोपण किया जावेगा। वचनपत्र संलग्न है।
11.	मार्ग पर गति सीमा दर्शाने वाले सूचना पटल लगाये जायेंगे।	कटनी–उमरिया–शहडोल–कोतमा (म.प्र./छत्तीसगढ़ बार्डर तक) रा.रा.क्र. 78 का भारत सरकार सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, नई दिल्ली की एनएचडीपी–4 परियोजना के अंतर्गत उन्नयन एवं सुदृढ़ीकरण कार्य हेतु उमरिया जिले के अंतर्गत प्रभावित 30.423 हे. वन भूमि का व्यपवर्तन होने की अनुमति की शर्तो के अनुपालन में मार्ग पर गति सीमा दर्शाने वाले सूचना पटल लगाये जायेंगे। वचनपत्र संलग्न है।

Scanned by CamScanner

12.	वनभूमि में कोई भी लेबर केम्प नहीं लगाये जायेंगे।	कटनी–उमरिया–शहडोल–कोतमा (म.प्र./छत्तीसगढ़ बार्डर तक) रा.रा.क्र. 78 का भारत सरकार सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, नई दिल्ली की एनएचडीपी–4 परियोजना के अंतर्गत उन्नयन एवं सुदृढ़ीकरण कार्य हेतु उमरिया जिले के अंतर्गत प्रभावित 30.423 हे. वन भूमि का व्यपवर्तन होने की अनुमति की शर्तो के अनुपालन में उपयोगकर्ता अभिकरण द्वारा वन क्षेत्र में किसी भी तरह के लेबर केम्प की स्थापना नही की जावेगी। वचनपत्र संलग्न है।
13.	उपयोगकर्ता अभिकरण द्वारा श्रमिकों को पर्याप्त मात्रा में जहां तक संभव हो वैधानिक स्त्रोत से वैकल्पिक ईंधन अथवा वन विभाग / वन विकास निगम से क्रय कर जलाऊ लकड़ी उपलब्ध कराई जायेगी।	कटनी–उमरिया–शहडोल–कोतमा (म.प्र./छत्तीसगढ़ बार्डर तक) रा.रा.क्र. 78 का भारत सरकार सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, नई दिल्ली की एनएचडीपी–4 परियोजना के अंतर्गत उन्नयन एवं सुदृढ़ीकरण कार्य हेतु उमरिया जिले के अंतर्गत प्रभावित 30.423 हे. वन भूमि का व्यपवर्तन होने की अनुमति की शर्तो के अनुपालन में उपयोगकर्ता अभिकरण द्वारा श्रमिकों को पर्याप्त मात्रा में जहाँ तक संभव हो वैधानिक स्त्रोत से वैकल्पिक ईंधन अथवा वन विभाग/ वन विकास निगम से क्रय कर जलाऊ लकड़ी उपलब्ध कराई जावेगी। वचनपत्र संलग्न है।
14.	निर्माण काय में लगे स्टॉफ एवं श्रमिकों द्वारा वनस्पति जीवों इत्यादित वनसंपदा को क्षति नहीं पहुंचाई जायेगी, यह उपयोगकर्ता अभिकरण की जिम्मेदारी होगी।	कटनी–उमरिया–शहडोल–कोतमा. (म.प्र./छत्तीसगढ़ बार्डर तक) रा.रा.क्र. 78 का भारत सरकार सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, नई दिल्ली की एनएचडीपी–4 परियोजना के अंतर्गत उन्नयन एवं सुदृढ़ीकरण कार्य हेतु उमरिया जिले के अंतर्गत प्रभावित 30.423 हे. वन भूमि का व्यपवर्तन होने की अनुमति की शर्तो के अनुपालन में निर्माण कार्य में लगे स्टॉफ एवं श्रमिकों द्वारा वनस्पति एवं जीवों इत्यादि वनसंपदा को क्षति नही पहुँचाई जायेगी यह उपयोगकर्ता अभिकरण की जिम्मेवारी होगी। वचनपत्र संलग्न है।
15.	वनक्षेत्र के बाहर प्रस्तावित लेबर केम्प परियोजना का निर्माण कार्य पूर्ण होते ही हटाये जायेंगे एवं श्रमिकों को वापस भेजा जायेगा।	कटनी–उमरिया–शहडोल–कोतमा (म.प्र./छत्तीसगढ़ बार्डर तक) रा.रा.क्र. 78 का भारत सरकार सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, नई दिल्ली की एनएचडीपी–4 परियोजना के अंतर्गत उन्नयन एवं सुदृढ़ीकरण कार्य हेतु उमरिया जिले के अंतर्गत प्रभावित 30.423 हे. वन भूमि का व्यपवर्तन होने की अनुमति की शर्तो के अनुपालन में वन क्षेत्र के बाहर प्रस्उतावित लेबर केम्प परियोजना का निर्माण कार्य पूर्ण होते ही हटाये जायेगें एवं श्रमिकों को वापस भेजा जायेगा। वचनपत्र संलग्न है।
16.	भारत सरकार के अनुमोदन के बिना व्यपवर्तन हेतु प्रस्तावित वन भमि को किसी भी दशा में अन्य किसी	कटनी–उमरिया–शहडोल–कोतमा (म.प्र./छत्तीसगढ़ बार्डर तक) रा.रा.क्र. 78 का भारत सरकार सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, नई दिल्ली की एनएचडीपी–4

Scanned by CamScanner

	एजेंसी, विभाग अथवा व्यक्ति को अंतरित नहीं किया जायेगा।	परियोजना के अंतर्गत उन्नयन एवं सुदृढ़ीकरण कार्य हेतु उमरिया जिले के अंतर्गत प्रभावित 30.423 हे. वन भूमि का व्यपवर्तन होने की अनुमति की शर्तो के अनुपालन में भारत सरकार के अनुमोदन के बिना व्यपवर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि को किसी भी दशा में अन्य किसी एजेंसी, विभाग अथवा व्यक्ति को अंतरित नही किया जायेगा। वचनपत्र संलग्न है।
17.	परियोजना की लागत पर व्यपवर्तित वन भूमि का सीमांकन् कराया जायेगा।	कटनी–उमरिया–शहडोल–कोतमा (म.प्र./छत्तीसगढ़ बार्डर तक) रा.रा.क्र. 78 का भारत सरकार सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, नई दिल्ली की एनएचडीपी–4 परियोजना के अंतर्गत उन्नयन एवं सुदृढ़ीकरण कार्य हेतु उमरिया जिले के अंतर्गत प्रभावित 30.423 हे. वन भूमि का व्यपवर्तन होने की अनुमति की शर्तो के अनुपालन में उपयोगकर्ता अभिकरण के द्वारा परियोजना की लागत पर व्यपवर्तित वन भूमि का सीमांकन कराया जावेगा। वचनपत्र संलग्न है।
18.	प्रस्ताव का ले–आउट प्लान भारत सरकार के अनुमोदन के बिना परिवर्तित नहीं किया जायेगा।	कटनी–उमरिया–शहडोल–कोतमा (म.प्र./छत्तीसगढ़ बार्डर तक) रा.रा.क्र. 78 का भारत सरकार सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, नई दिल्ली की एनएचडीपी–4 परियोजना के अंतर्गत उन्नयन एवं सुदृढ़ीकरण कार्य हेतु उमरिया जिले के अंतर्गत प्रभावित 30.423 हे. वन भूमि का व्यपवर्तन होने की अनुमति की शर्तो के अनुपालन में प्रस्ताव का ले–आउट प्लान भारत सरकार के अनुमोदन के बिना परिवर्तित नही किया जायेगा। वचनपत्र संलग्न है।
19.	वनभूमि का उपयोग परियोजना के प्रयोजन के अतिरिक्त नहीं किया जायेगा।	कटनी–उमरिया–शहडोल–कोतमा (म.प्र./छत्तीसगढ़ बार्डर तक) रा.रा.क्र. 78 का भारत सरकार सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, नई दिल्ली की एनएचडीपी–4 परियोजना के अंतर्गत उन्नयन एवं सुदृढ़ीकरण कार्य हेतु उमरिया जिले के अंतर्गत प्रभावित 30.423 हे. वन भूमि का व्यपवर्तन होने की अनुमति की शर्तो के अनुपालन में उपयोगकर्ता अभिकरण द्वारा प्रश्नाधीन वनभूमि का उपयोग प्रस्तावित परियोजना के अतिरिक्त अन्य किसी कार्य के लिये नही किया जावेगा। वचनपत्र संलग्न है।
20.	वनविभाग द्वारा अनुमोदित योजना के अनुरूप मलबे का निपटान किया जायेगा।	कटनी–उमरिया–शहडोल–कोतमा (म.प्र./छत्तीसगढ़ बार्डर तक) रा.रा.क्र. 78 का भारत सरकार सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, नई दिल्ली की एनएचडीपी–4 परियोजंना के अंतर्गत उन्नयन एवं सुदृढ़ीकरण कार्य हेतु उमरिया जिले के अंतर्गत प्रभावित 30.423 हे. वन भूमि का व्यपवर्तन होने की अनुमति की शर्तो के अनुपालन में वन विभाग द्वारा अनुमोदित योजना के अनुरूप मलबे का निपटान किया जायेगा।

Scanned by CamScanner

		वचनपत्र संलग्न है।
21.	उपयोगकर्ता अभिकरण द्वारा आवश्यक होने पर भू–संरक्षण के उपाय किये जायेंगे।	कटनी–उमरिया–शहडोल–कोतमा (म.प्र./छत्तीसगढ़ बार्डर तक) रा.रा.क्र. 78 का भारत सरकार सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, नई दिल्ली की एनएचडीपी–4 परियोजना के अंतर्गत उन्नयन एवं सुदृढ़ीकरण कार्य हेतु उमरिया जिले के अंतर्गत प्रभावित 30.423 हे. वन भूमि का व्यपवर्तन होने की अनुमति की शर्तो के अनुपालन मे उपयोगकर्ता अभिकरण द्वारा आवश्यक होने पर भू–संरक्षण के उपाय किये जायेगे। वचनपत्र संलग्न है।
22.	निर्माण सामग्री परिवहन हेतु वन क्षेत्र में कोई भी नया अथवा अतिरिक्त पथ नहीं बनाया जायेगा।	कटनी–उमरिया–शहडोल–कोतमा (म.प्र./छत्तीसगढ़ बार्डर तक) रा.रा.क्र. 78 का भारत सरकार सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, नई दिल्ली की एनएचडीपी–4 परियोजना के अंतर्गत उन्नयन एवं सुदृढ़ीकरण कार्य हेतु उमरिया जले के अंतर्गत प्रभावित 30.423 हे. वन भूमि का व्यपवर्तन होने की अनुमति की शर्तो के अनुपालन में निर्माण सामग्री परिवहन हेतु वन क्षेत्र में कोई भी नया अथवा अतिरिक्त पथ नही बनाया जायेगा। वचनपत्र संलग्न है।
23.	उपयोगकर्ता अभिकरण द्वारा आवश्यक होने पर वन विभाग के परामर्श के अनुसार वन्य जीवों के आवागमन हेतु ओव्हर / अण्डरपास का निर्माण कराया जायेगा।	कटनी–उमरिया–शहडोल–कोतमा (म.प्र./छत्तीसगढ बार्डर तक) रा.रा.क्र. 78 का भारत सरकार सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, नई दिल्ली की एनएचडीपी–4 परियोजना के अंतर्गत उन्नयन एवं सुदृढ़ीकरण कार्य हेतु उमरिया जिले के अंतर्गत प्रभावित 30.423 हे. वन भूमि का व्यपवर्तन होने की अनुमति की शर्तो के अनुपालन में उपयोगकर्ता अभिकरण द्वारा आवश्यक होने पर वन विभाग के परामर्श के अनुसार वन्य जीवों के आवागमन हेतु **ओव्हर/अंडरपास** का निर्माण कराया जायेगा। वचनपत्र संलग्न है।
24.	इस व्यवपर्तन स्वीकृति की अवधि उपयोगकर्ता अभिकरण को प्रदत्त लीज अवधि अथवा परियोजना का जीवनकाल समाप्त होने के साथ ही स्वतः निरस्त हो जायेगी।	कटनी–उमरिया–शहडोल–कोतमा (म.प्र./छत्तीसगढ़ बार्डर तक) रा.रा.क्र. 78 का भारत सरकार सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, नई दिल्ली की एनएचडीपी–4 परियोजना के अंतर्गत उन्नयन एवं सुदृढ़ीकरण कार्य हेतु उमरिया जिले के अंतर्गत प्रभावित 30.423 हे. वन भूमि का व्यपवर्तन होने की अनुमति की शर्तो के अनुपालन में उपयोगकर्ता अभिकरण ह अभिवचन करते है कि इस व्यपवर्तन स्वीकृति की अवधि उपयोगकर्ता अभिकरण को प्रदत्त् लीज अवधि अथवा परियोजना का जीवनकाल समाप्त होने के साथ ही स्वतः निरस्त हो जावेगी। वचनपत्र संलग्न है।

Scanned by CamScanner

25.	उपयोगकर्ता अभिकरण द्वारा प्रत्येक वर्ष 1 जनवरी को राज्य के नोडल अधिकारी को पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जायेगा।	कटनी–उमरिया–शहडोल–कोतमा (म.प्र./छत्तीसगढ़ बार्डर तक) रा.रा.क्र. 78 का भारत सरकार सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, नई दिल्ली की एनएचडीपी–4 परियोजना के अंतर्गत उन्नयन एवं सुदृढ़ीकरण कार्य हेतु उमरिया जिले के अंतर्गत प्रभावित 30.423 हे. वन भूमि का व्यपवर्तन होने की अनुमति की शर्तो के अनुपालन में उपयोगकर्ता अभिकरण द्वारा प्रत्येक वर्ष 1 जनवरी को राज्य के नोडल अधिकारी को पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जायेगा। वचनपत्र संलग्न है।
26.	राज्य शासन द्वारा वन भूमि के व्यपवर्तन की शर्तो के पालन की निगरानी की जायेगी एवं प्रत्येक वर्ष 1 जुलाई को प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जायेगा।	जी, हॉ।
27.	भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं गौतम मंत्रालय द्वारा समय समय पर वन एव वन्य जीवों के संरक्षण, सुरक्षा एवं विकास के हित में जारी शतो का पालन किया जायेगा।	कटनी–उमरिया–शहडोल–कोतमा (म.प्र./छत्तीसगढ़ बार्डर तक) रा.रा.क्र. 78 का भारत सरकार सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, नई दिल्ली की एनएचडीपी–4 परियोजना के अंतर्गत उन्नयन एवं सुदृढ़ीकरण कार्य हेतु उमरिया जिले के अंतर्गत प्रभावित 30.423 हे. वन भूमि का व्यपवर्तन होने की अनुमति की शर्तो के अनुपालन मे भारत सरकार र्प्यावरण, वन एवं मौसम मंत्रालय द्वारा समय–समय पर वन एवं वन्य जीवों के संरक्षण, सुरक्षा एवं विकास के हित में जारी शर्तो का पालन किया जायेगा। वचनपत्र संलग्न है।
28.	राज्य शासन एवं उपयोगकर्ता एजेंसी द्वारा समय समय पर जारी एवं परियोजना प्र लागू अधिनियमों, नियमों, विनियमों, एवं दिशा निर्देशों का पालन किया जायेगा।	कटनी–उमरिया–शहडोल–कोतमा (म.प्र./छत्तीसगढ़ बार्डर तक) रा.रा.क्र. 78 का भारत सरकार सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, नई दिल्ली की एनएचडीपी–4 परियोजना के अंतर्गत उन्नयन एवं सुदृढ़ीकरण कार्य हेतु उमरिया जले के अंतर्गत प्रभावित 30.423 हे. वन भूमि का व्यपवर्तन होने की अनुमति की शर्तो के अनुपालन में उपयोगकर्ता अभिकरण द्वारा परियोजना पर लागू समस्त अधिनियमों, नियमों, विनियमनों एवं दिशा निर्देशों का पालन किया जायेगा। वचनपत्र संलग्न है।

परियोजना प्रबंधक
पैकेज–2 एवं 3, एन.एच.–78
म.प्र.सड़क विकास निगम लिमि.
संभाग शहडोल (म.प्र.)

Scanned by CamScanner

न्यायालय कलेक्टर जिला आगर मालवा (म0प्र0)

प्रकरण क्रमांक 33 / अ–19(3) / 2007–08

न्यायालय जिला कलेक्टर जिला आगर-मालवा (म.प्र.)

:: संशोधित आदेश ::

(दिनांक 14 जुलाई 2015 को पारित)

प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश रोड डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड भोपाल द्वारा अर्द्ध शासकीय पत्र क्रमांक 2738/ एमपीआरडीसी / 2015–16 भोपाल दिनांक 25.05.2015 में उल्लेख किया है कि मेसर्स सुजलान इन्फास्ट्रक्चर लिमिटेड इन्दौर को 91.50 वृक्षारोपण हेतु 97.06 हैक्टेयर भूमि कलेक्टर शाजापुर के न्यायालयीन प्रकरण क्रमांक 33 / अ– 19(3) / 2007–08 में पारित आदेश दिनांक 18.02.2008 द्वारा वन विभाग को अंतरित किया गया था तथा अंतरण शर्तों में यह स्पष्ट था कि प्रोजेक्ट का क्रियान्वयन दो वर्ष के भीतर न होने की स्थिति में अंतरण स्वमेव निरस्त समझा जावेगा। उक्त प्रोजेक्ट निर्धारित समयावधि में क्रियान्वित नहीं हो सका है। वन विभाग द्वारा तत्समय वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु निम्नानुसार भूमि को उपयुक्त पाया गया था :–

क्र.	तहसील का नाम	ग्राम का नाम	सर्वे क्रमांक	रकबा हैक्टेयर में
1	आगर	नालीखेड़ा	527	52.050
2	बड़ौद	रापड़ी	818 / 1 / 1	28.730
3	बड़ौद	टोकड़ा	132 / 7	23.750
4		टोकड़ा	136	26.250
5		टोकड़ा	229	21.180
			योग	151.780

मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम द्वारा संचालित सतना – चित्रकुट मार्ग (राजमार्ग क्र–11) हेतु 600 हेक्टेयर कटनी शहडोल–अनुपपुर–उमरिया मार्ग (राष्ट्रीय राजमार्ग क्र–78) हेतु 52.683 हेक्टेयर तथा जबलपुर–मण्डला–चिल्पी मार्ग (राष्ट्रीय राजमार्ग क्र–12) हेतु 38.50 हेक्टेयर इस प्रकार कुल 127.783 हेक्टेयर राजस्व भूमि वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु वन विभाग को अंतरित किए जाने की आवश्यकता है। यदि उपरोक्तानुसार राजस्व भूमि वन विभाग को अंतरित की जाती है तो तीनों महत्वपूर्ण एवं महत्वाकांक्षी सड़क परियोजनाओं का तत्परता से क्रियान्वयन संभव हो सकेगा, कृपया इस संबंध में यथोचित कार्यवाही करने का कष्ट करें। मध्यप्रदेश रोड डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लि. भोपाल का पत्र क्रमांक 5408 दिनांक 10.07.2015 के माध्यम से इन परियोजनाओं को पूर्ण करने हेतु वैकल्पिक वृक्षारोपण के लिए निम्न क्रमानुसार राजस्व भूमि अंतरण की कार्यवाही करने का अनुरोध किया गया है :–

1. कटनी शहडोल–अनुपपुर–उमरिया मार्ग (राष्ट्रीय राजमार्ग क्र–78) हेतु 52.683 हेक्टेयर
2. जबलपुर–मण्डला–चिल्पी मार्ग (राष्ट्रीय राजमार्ग क्र–12) हेतु 38.50 हेक्टेयर

Steno/Geilletter.doc

Scanned by CamScanner

... चित्रकुट मार्ग (राजमार्ग क्र–11) हेतु 36.600 हेक्टेयर

मध्यप्रदेश रोड डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड भोपाल के पत्र दिनांक 25.05.2015 एवं 10.07.2015 के आधार पर दिनांक 13.07.2015 को वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु राजस्व भूमि आवंटन आदेश जारी किया गया था। मुख्य महाप्रबंधक (प्रशा.) मध्यप्रदेश रोड डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड भोपाल के द्वारा पत्र क्र 5673 / एमपीआरडीसी / 2015–16 भोपाल दिनांक 14.07.2015 के माध्यम से अनुरोध किया है कि न्यायालय के आदेश दिनांक 13.07.2015 में संशोधन कर शहडोल–अनुपपुर–उमरिया मार्ग (राष्ट्रीय राजमार्ग क्र–78) हेतु 52.683 हेक्टेयर तथा जबलपुर–मण्डला–चिल्पी मार्ग (राष्ट्रीय राजमार्ग क्र–12) हेतु 38.50 हेक्टेयर राजस्व भूमि अन्तरित करने की कृपा करें।

3. कलेक्टर शाजापुर के न्यायालयीन प्रकरण क्रमांक 33 / अ–19(3) / 2007–08 में पारित आदेश दिनांक 18.02.2008 से निम्नानुसार भूमि वन विभाग को सशर्त आवंटित की गई थी :–

तहसील का नाम	ग्राम का नाम	भूमि सर्वे क्र0 एवं अभिलेख में अंकित उसकी मद	अभिलेख में अंकित भूमि का रकबा	वन विभाग को दी जाने हेतु प्रस्तावित की गई भूमि का रकबा
आगर	मालीखेड़ी	527 जो अभिलेखों में निस्ता चरनोई ... भूमि पड़त भूमि ... हेतु सुरक्षित अंकित है।	52.050 हेक्टेयर में से	20.00 हेक्टेयर
बड़ौद	रापड़ी	818/1 जो कि राजस्व अभिलेख में ... अंकित है।	29.730 हेक्टेयर में से	25.00 हेक्टेयर
बड़ौद	टोकड़ा	182 जो कि अभिलेख में चरनोई अंकित है।	23.570 हेक्टेयर में से	15.00 हेक्टेयर
		186 जो कि अभिलेख में निस्ता चरोखर अंकित थी जिसे प्र.क्र 155 / अ–59 / 2000–01 आदेश दिनांक 03.09.2001 द्वारा गैर मुमकिन घोषित किया गया है।	26.250 हेक्टेयर में से	23.00 हेक्टेयर
		229 जो कि अभिलेख में गैरमुमकिन चरनोई अंकित है।	21.180 हेक्टेयर में से	15.00 हेक्टेयर
योग				98.00 हेक्टेयर

उक्त आदेश में यह शर्त अंकित की गई थी कि किसी कारण से योजना का क्रियान्वयन नहीं होता है यह आदेश जारी होने के दो वर्ष अथवा किसी विशेष कारण से बढाई अवधि के भीतर आरक्षित की गई ...

Steno/Gen.lettandoc

...सार वृक्षारोपण से भिन्न किसी अन्य प्रयोजन के लिए किया जाता है तो यह आदेश ... जावेगा तथा यह भूमि वापस राजस्व विभाग की अंकित की जाकर राजस्व विभाग द्वारा ... पत्य में ली सकेगी।

4. वन मण्डलाधिकारी शाजापुर द्वारा मुख्य वन संरक्षक उज्जैन वृत्त उज्जैन को भेजे पत्र एंव कलेक्टर जिला आगर मालवा को को पृष्ठ क्रमांक / मा.चि. / 14 / 2454 शाजापुर दिनांक 22.10.2014 मे उल्लेख कि गया है कि कलेक्टर शाजापुर के आदेश दिनांक 18.02.2008 के माध्यम से प्राप्त 98.00 हैक्टेयर गैर वन भूमि हेतु आवेदक संस्था सुजलॉन, इन्फास्ट्रक्चर लि0 से कोई राशि वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु प्राप्त नहीं हुई है।

5. मेसर्स सुजलॉन इन्फास्ट्रचर लिमिटेड इन्दौर के पत्र क्रमांक / रीडर / 15 / 146 आगर मालवा दिनांक 10.06.2015 जारी किया जाकर जवाब प्राप्त करने का कष्ट करें। मेसर्स सुजलॉन इन्फास्ट्रचर लिमिटेड इन्दौर द्वारा दिनांक 22.06.2015 को जवाब प्रस्तुत कर उसमें उल्लेख किया गया है कि मेसर्स सुजलॉन इन्फास्ट्रचर लिमिटेड इन्दौर को 91.50 मेगावाट का विण्ड फार्म प्रोजेक्ट बड़वानी जिले में स्थापित किये जाने हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु 97.06 हेक्टेयर भूमि कलेक्टर शाजापुर के न्यायालयीन प्रकरण क्रमांक 33 / अ–19(3) / 2007–08 में पारित आदेश दिनांक 18.02.2008 द्वारा वन विभाग को आवंटित की गई थी। उक्त प्रत्यावर्तन प्रस्ताव के पक्ष में वन एंव पर्यावरण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा प्रथम चरण की सैद्धांतिक स्वीकृति भी प्रदाय की जा चुकी थी किन्तु तत्पश्चात तत्समय संवैधानिक एंव शासकीय प्रावधान अनुसार उक्त वन भू–भाग पर वन अधिकार मान्यता अधिनियम 2006 के तहत वन अधिकार पट्टा उस भूमि पर काबिज अनुसूचित जनजाति निवासियों को प्रदाय कर दिया गया। अतः उक्त 97.06 हेक्टेयर वन भूमि के प्रत्यावर्तन प्रस्ताव को अनुपयुक्त एंव निरस्त मानते हुए आवेदक संस्था ने उक्त भू–भाग अर्थात वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु आवंटित राजस्व भूमि के बदले ... की राशि भारत सरकार को जमा नहीं करवाई।

6. मेसर्स सुजलॉन इन्फास्ट्रचर लिमिटेड इन्दौर द्वारा वृक्षारोपण हेतु वन विभाग को आवंटित की गई उपरोक्त भूमि पर दो वर्ष से वृक्षारोपण नहीं किए जाने से कलेक्टर शाजापुर के न्यायालयीन प्रकरण क्रमांक 33 / अ–19(3) / 2007–08 में पारित आदेश दिनांक 18.02.2008 को निरस्त किया जाता है। मध्यप्रदेश शासन वन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ–25 / 36 / 2005 / 10–3 दिनांक 25.10.2005 एवं परिपत्र क्रमांक एफ–25 / 36 / 2005 / 10–3 भोपाल दिनांक 26 अक्टुबर 2005 के परिप्रेक्ष्य में प्रबंध संचालक मध्यप्रदेश रोड डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड भोपाल द्वारा अर्द्ध शासकीय पत्र क्रमांक 2738 / एमपीआरडीसी / 2015–16 भोपाल दिनांक 25.05.2015, पत्र क्रमांक 5403 दिनांक 10.0... 2015 एंव पत्र क्र 5673 / एमपीआरडीसी / 2015–16 भोपाल दिनांक 14.07.2015 के अनुसार कटनी ... (राष्ट्रीय राजमार्ग क्र–78) हेतु 52.683 हेक्टेयर तथा जबलपुर–शहडोल–अनुपपुर–उमरिया मार्ग (राष्ट्रीय राजमार्ग क्र–12) हेतु 38.50 हेक्टेयर राजस्व भूमि वैकल्पिक वृक्षारोपण ... मण्डला –चिल्पी मार्ग ... किए जाने हेतु जिला आगर मालवा की तहसील ... की निम्नानुसार भूमि को मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 237 के तहत उसके वर्तमान प्रयोजन से कम किया जाकर मध्यप्रदेश शासन ...

Scanned by CamScanner

...खण्ड–एक क्रमाक 7 के तहत नीचे उल्लेखित शर्तो के अधीन वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु ... विभाग को आवंटित की जाती है :–

क्र.	तहसील का नाम	ग्राम का नाम	सर्वे क्रमांक	रकबा हैक्टेयर में
1	बडौद	रापड़ी	818/1/1	28.730
2	बडौद	टोकड़ा	182/7	23.750
3		टोकड़ा	186	26.250
4		टोकड़ा	229	21.180 मेसे 12.453
		योग		91.183

शर्ते :–

1. आवंटित की गई भूमि पूर्णतः शासन के स्वामित्व की रहेगी।

2. किसी कारण से योजना का क्रियान्वयन नहीं होता है या यह आदेश जारी होने के दो वर्ष अथवा किसी विशेष कारण से बढाई अवधि के भीतर आरक्षित की गई भूमि पर शासन निर्देशानुसार वृक्षारोपण नही किया जाता है या आरक्षित की गई भूमि का उपयोग प्रस्तावित परियोजना में वर्णित प्रयोजन वैकल्पिक वृक्षारोपण से भिन्न किसी अन्य प्रयोजन के लिए किया जाता है, तो यह आदेश स्वमेव निरस्त माना जावेगा तथा यह भूमि वापस राजस्व विभाग को अंकित की जाकर राजस्व विभाग द्वारा वापस अपने आधिपत्य में ली जा सकेगी।

3. आरक्षित भूमि पर से ग्रामवासियों के रास्ते आदि ... निस्तारी उपयोग में किसी प्रकार की कोई रुकावट वन विभाग द्वारा उत्पन्न नहीं की जावेगी।

4. वन विभाग को जितनी भूमि प्रस्तावित परियोजना ... दी जा रही है उतनी ही भूमि वन विभाग के लिए आरक्षित रखी जाकर शेष भूमि राजस्व विभाग द्वारा वापस ली जा सकेगी।

तहसीलदार बडौद उनके तहसील क्षेत्राधिकार अन्तर्गत आदेशानुसार अभिलेख में अमलदरामद कर भूमि का कब्जा तत्काल वन विभाग शाजापुर को सौंपकर अमलशुदा खसरा नक्शा एवं कब्जा रसीद इस न्यायालय को भिजवायें।

14/07/2015

(विनोद कुमार शर्मा)
कलेक्टर
जिला–आगर मालवा म०प्र०

Steno/Gen.letter.doc

Scanned by CamScanner

25

क्र/ [illegible] 2015/163-A आगर मालवा, दिनांक जुलाई 2015

प्रतिलिपि [illegible]

1. [illegible] संचालक म0प्र0 रोड डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड भोपाल।
2. वन मण्डलाधिकारी, वन मण्डल [illegible]
3. अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) आगर–[illegible]
4. तहसीलदार, तहसील आगर, बडौद की ओर भेज कर लेख है कि आदेश का राजस्व अभिलेख में अमल करायें तथा स्थल पर हस्तांतरित भूमि चिन्हित कर विभागिय अधिकारी को आधिपत्य दिलाये जाने हेतु पालनार्थ।
5. सुजलोन गुजरात विन्ड पार्क लिमिटेड [illegible] विहार ए0 बी0 रोड इन्दौर कर ओर सूचनार्थ

14/7/2015

कलेक्टर

जिला–आगर मालवा म0प्र0

Steno/Gen.lettar.doc

मौका पंचनामा

दिनांक 16/02/2016
स्थान : ग्राम टोकड़ा

हम पंचान यह पंचनामा लिखा देने वाले सत्य सत्य कर देते है कि आज दिनांक 16/02/2016 को स्थान ग्राम पंचायत टोकड़ा के ग्राम टोकड़ा मे वन परिक्षेत्र अधि. के पत्र क्र. 113/16/02/2016 व वन म० अ० शाजापुर के पत्र क्र./मा.चि./2016/379/दि. 15.2.16 के आदेश पर पटवारी ग्राम टोकड़ा श्री गोवर्धन सिंह केलकर प० ह० नं. 20 व परि० सहा० आगर श्री अशोक देवड़ा MPRDC द्वारा अधिकृत अधिकारी श्री देवेन्द्र कुमार द्विवेदी के साथ वन कर्मी भूमि हस्तांतरण के सर्वे हेतु उपस्थित हुए, मौके पर पटवारी द्वारा बतायी गई भूमि सर्वे क्र. 229 का GPS द्वारा एरिया कैलक्युलेशन किया गया, भूमि के चारो कोनो की GPS रीडिंग ली गई, जिसका एरिया कैलक्यूलेशन एकबा 15 हे० पाया गया, सर्वे की गई भूमि अतिक्रमण से मुक्त है व मिट्टी लाल मुरमी दोमट प्रकार की है, सर्वे की गई भूमि मे पलाश, सीताफल व करौंदा प्रजाति की झाड़िया है। GPS रीडिंग निम्नानुसार है;

(1) उत्तर-पश्चिम से प्रारंभ होकर दक्षिण की ओर।

N 23°49'30.0"
E 075°51.56.1"

(3) N 23°49'21.0"
E 075°52'07.7"

(2) N 23°49'29.8"
E 075°51.56.1"

(4) N 23°49'32.2"
E 075°52'04.4"

(5) राष्ट्रीय राजमार्ग क्र. 78 - शहडोल से छत्तीसगढ़ बार्डर तक विद्यमान के उन्नयन एवं निर्माण कार्य मे प्रभावित होने वाली भूमि 13.188 हे. वन भूमी के व्यपवर्तन ;

सर्वे उपरांत मौके पर मौका पंचनामा तैयार किया गया पढ कर सुनकर उपस्थित पंचो ने पूर्ण होशो हवाश मे हस्ताक्षर किये जो वक्त पड़े काम आये।

पंचनामा मेरे द्वारा बनाया गया

[signature]

[signature] 16.02.2016

[signature] 16/2/016
पटवारी ग्राम टोकड़ा
[illegible]

मा.गा. बद्रीनाथ [illegible] शांताराम
नि. जोगी खेड़िया, टोकड़ा

[signature] 16/2/16
परि. सहा. आगर [illegible]

[signature]
कोटवार मोतीलाल [illegible]
नि. जोगीखेड़िया

[signature]
[illegible] ओझा

Scanned by CamScanner

कब्जा रसीद

मैं नरेन्द्र अरवाड उपवन क्षेत्रपाल बडोद एवं राकेश कुम्भकार वनरक्षक बीट बडोद हस्ताक्षर कर यह लिख देते है कि आज दिनांक 16/2/016 को ग्राम टोकड़ा की वन विभाग को आवंटित भूमि सर्वे क्र. 229 रकबा 1.5 हे० मे से 1.453 हे० भूमि का पटवारी ग्राम द्वारा मौके पर सीमांकन कर सीमाचिन्ह कायम करवा दिये गये, हमारे द्वारा मौके पर सीमाए समझ ली गई है। मौके पर उपरोक्त भूमि का सीमांकन अनुसार कब्जा प्राप्त कर लिया गया है।

Rakesh Kumar
F.G. Badod

[illegible]

नरेन्द्र अरवाड
उ.व.क्षे. बडोद

(1) गो.सिंह [illegible]
गोविंदसिंह [illegible]
नि. टोकड़ा

पटवारी ह.नं. 20
16/02/16

बालूसिंह
बालूसिंह S/o [illegible]
नि. टोकड़ा

Scanned by CamScanner

भूमि का ब्योरा हेक्टेयर में एंव करो का ब्योरा रुपये पैसों मे

खसरा

125126748692

ग्राम लोकड़ा　　हल्का इकलेराबडौद　　रा. नि. नं बीजानगरी　　तहसील बड़ौद.　　जिला आगर मालवा　　वर्ष २०१६-२०१७.

क्रमांक	क्षेत्रफल (और यदि भूमि खाते में सम्मिलित न हो तो उसका वर्णन)	कब्जेदार का नाम, उसके पिता का या पति का नाम तथा निवास स्थान, अधिकार जिसके अन्तर्गत भूमि धारण की गई हो और देय राजस्व का लगान	किसी भूमिस्वामी या पट्टेदार का या किसी मौरूमी काश्तकार के उप पट्टेदार का नाम, पिता का नाम, लगान या पट्टे की रकम और उस पट्टे पर दिये गये भाग का क्षेत्रफल	खाते की भूमि — क्षेत्रफल जिसमें वर्ष के दौरान में फसल उगाई गई: फसल का नाम	क्षेत्रफल	दुफसली क्षेत्रफल	पड़ती का क्षेत्रफल: चालू वर्ष की पड़ती	२ से ५ वर्ष तक की पड़ती	अन्य पड़ती अर्थात ५ वर्ष से अधिक	खाते के बाहर के क्षेत्रों में बोई गई फसल का नाम तथा क्षेत्रफल	कैफियत
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२
२२९	२१.१८०	शासकीय									श्रीमान कलेक्टर महोदय शाजापुर के प्र क्र ३३/ अ-१९(३)/२००७-०८ आदि १८-२/२००८ के अनुसार श्रीमान तहसीलदार महोदय के प्र क्र री-२/०८/७९४-९५ आदि १२/३/२००८ के पालन में सर्वे क्र २२९ रकबा ६.१८ को गैर मुमकिन चरनोई एवं १५.०० है० वन विभाग का वृक्षारोपण हेतु अमल किया गया न्यायालय कलेक्टर महोदय जिला आगर मालवा के प्र क्र ३३/ अ-१९(३)/२००७-०८ संशोधित आदेश

Scanned by CamScanner

...लगान एवं करो का ब्योरा रुपये पैसों मे

खसरा

[illegible] : १०/०४/२०१६ ११:१४

NIC-VER4-barod1

217

125126748692

हल्का इकलेराबडौद   रा. नि. नं बीजानगरी   तहसील बड़ौद.   जिला आगर मालवा   वर्ष २०१६-२०१७.

क्षेत्रफल (और ... भूमि खाते ... सम्मलित न ... उसका	कब्जेदार का नाम, उसके पिता का या पति का नाम तथा निवास स्थान, अधिकार जिसके अन्तर्गत भूमि धारण की गई हो और देय राजस्व का लगान	किसी भूमिस्वामी या पट्टेदार का या किसी मौरूमी काश्तकार के उप पट्टेदार का नाम, पिता का नाम, लगान या पट्टे की रकम और उस पट्टे पर दिये गये भाग का क्षेत्रफल	खाते की भूमि: क्षेत्रफल जिसमें वर्ष के दौरान में फसल उगाई गई: फसल का नाम	क्षेत्रफल	दुफसली क्षेत्रफल	पड़ती का क्षेत्रफल: चालू वर्ष की पड़ती	२ से ५ वर्ष तक की पड़ती	अन्य पड़ती अर्थात ५ वर्ष से अधिक	खाते के बाहर के क्षेत्रों में बोई गई फसल का नाम तथा क्षेत्रफल	कैफियत
	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२
										दिनांक १४-०७-२०१५ से सर्वे न २२९ रकबा[illegible]२१.१८ हे० में से १२.४५ हे० वन विभाग को व्रक्षारोपण हेतु सुरक्षित रखी है

प्रतिलिपि देने वाले के हस्ताक्षर :
नाम, पद एवं दिनांक :

T.C.

[illegible]

Scanned by CamScanner

कब्जा रसीद

मैं नरेन्द्र अखण्ड उपवन क्षेत्रपाल बड़ोद एवं राकेश कुमार वनरक्षक बीट बड़ोद हस्ताक्षर कर यह लिख देते है कि आज दिनांक 29/09/2016 को ग्राम रापड़ी की वन विभाग को आवंटित भूमि सर्वे क्र. 818/1/1 रकबा 28.730 हे. भूमि का पटवारी ग्राम द्वारा मौके पर सीमांकन कर हमारे द्वारा मौके पर सीमाए समझ ली गई है मौके पर उपरोक्त भूमि का कब्जा प्राप्त कर लिया गया।

समक्ष

[signature]
29/9/016

गवाह

(1) बाबा दुरसींह

(2) राधे सिंह

गोरधनसिंह केलकर
पटवारी हल्का नं. 20..
तहसील बड़ोद

[signature]
फ.ग. बड़ोद

[signature]
Rakesh kumar
F.g. Badod
29/09/16

Scanned by CamScanner

पंचनामा

हम पंचान ग्राम झापड़ी तहसील बड़ोद के होकर यह पंचनामा तहरीर करते है कि आज दिनांक 29/9/16 को संयुक्त सीमांकन दल मौके पर आये व श्री मान तहसीलदार महोदय बड़ोद के पत्र क्रमांक/सी-1/2016-17 दिनांक 29/9/16 के पालन मे वन मण्डल आगर को हस्तान्तरित भूमि सर्वे क्रमांक 818 कि-1 रकबा 28.73 का वन मण्डल क्षेत्राधिकारी श्री नरेन्द्र जी अखण्ड डिप्टी रेंजर की उपस्थिति में सीमांकन किया। भूमि सर्वे नम्बर 818 कि-1 रकबा 28.73 हेक्टर की चतुर्सीमा कायम की गई व पायों के निशान कायम किये गये। मौके पर उपस्थित विभाग की ओर से उपस्थित श्री नरेन्द्र जी अखण्ड डिप्टी रेंजर द्वारा उक्त भूमि की चतुर्सीमा समझी गई। चतुर्सीमा समझाकर पंचनामा लिखा जाकर पढ़ा सुना गया बाद हस्ताक्षर करवाये।

राजस्व निरीक्षक
वृत्त-1, बड़ोद

तहसील बड़ोद

राधूसिंह

बहादुरसिंह

बालसिंह

Scanned by CamScanner

का ब्योरा रुपये पैसों मे

फार्म पी-II

खसरा

तिथि : १०/०४/२०१६ ११:०५

NIC-VER4-barod1

148239001

हल्का बिनायगा बडौद रा. नि. नं बीजानगरी तहसील . बड़ौद. जिला आगर मालवा वर्ष २०१६-२०१७.

कब्जेदार का नाम, उसके पिता का या पति का नाम तथा निवास स्थान, अधिकार जिसके अन्तर्गत भूमि धारण की गई हो और देय राजस्व का लगान	किसी भूमिस्वामी या पट्टेदार का या किसी मौरूमी काश्तकार के उप पट्टेदार का नाम, पिता का नाम, लगान या पट्टे की रकम और उस पट्टे पर दिये गये भाग का क्षेत्रफल	खाते की भूमि — क्षेत्रफल जिसमें वर्ष के दौरान में फसल उगाई गई: फसल का नाम	क्षेत्रफल	दुफसली क्षेत्रफल	पड़ती का क्षेत्रफल: चालू वर्ष की पड़ती	२ से ५ वर्ष तक की पड़ती	अन्य पड़ती अर्थात् ५ वर्ष से अधिक	खाते के बाहर के क्षेत्रों में बोई गई फसल का नाम तथा क्षेत्रफल	कैफियत
३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२
शासकीय									न्यायालय कलेक्टर महोदय जिला आगर मालवा के प्र क्र ३३/ अ-१९(३) /२००७-०८ संशोधित आदेश दिनांक १४-०७-२०१५ से सर्वे न २१८/१/१ रकबा २८.७३ हे० वन विभाग को वृक्षारोपण हेतु सुरक्षित रखी है

प्रतिलिपि देने वाले के हस्ताक्षर :

नाम, पद एवं दिनांक :

Scanned by CamScanner